ए.

भारत संघ और ए. एन. आर.

वी.

मेसर्स के. सी. शर्मा एंड कंपनी एंड ओआरएस। (2011 की सिविल अपील संख्या 9049-9053) 14 अगस्त, 2020

बी.

[अशोक भूषण**,** आर**.** सुभाष रेड्डी और एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.** जे**.]**

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894।प्रत्यर्थीगण 3 प्रत्यर्थीगण 0 प्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगणऔप्रत्यर्थीगणरप्रत्यर्थीगण प्रत्यर्थीगण 3 प्रत्यर्थीगण 1 प्रत्यर्थीगण-प्रत्यर्थीगण-प्रत्यर्थीगण-

प्रत्यर्थीगण-प्रत्यर्थीगण-प्रत्यर्थीगण-

किसी भी अपील में।आई. डी. **1** दिनांकित निर्णय और डिक्री के खिलाफ कोई अपील दायर किए बिना, एक अलग मुकदमा मुख्य रूप से इस आधार पर दायर किया जाता है कि उक्त निर्णय और डिक्री धोखाधड़ी से प्राप्त की जाती है।विचाराधीन भूमि 'बंजर' भूमि थी जिसमें 'शोरा' था और ग्राम पंचायत 'शोरा' को हटाकर खेती के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उक्त भूमि को पट्टे पर देना चाहती थी।प्रस्तुत किए गए राजस्व अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि प्रत्यर्थी का नाम स्वामी और कृषक के रूप में दर्ज किया गया था।दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में यह नहीं कहा जा सकता है कि पट्टा प्रत्यर्थीगण द्वारा पूर्व प्रधान के साथ मिलीभगत से प्राप्त किया गया था।**[**पैरा **11] [862-**सी**,** ई**-**एफ**; 863-**बी**]**

बी.

1.2 जब निर्णय और डिक्री पर केवल इस आधार पर हमला किया जाता है कि पट्टा पूर्व प्रधान के साथ मिलीभगत से बनाया गया था, क्योंकि यह साक्ष्य के विपरीत है, तो प्रत्यर्थीगण की एकमात्र याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से स्वीकार नहीं किया गया था।प्रत्येक चरण में पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही को सक्षम प्राधिकारी/डिप्टी कमिश्नर द्वारा अनुमोदित किया गया था। निदेशक, पंचायत, इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थीगणओं ने पंचायत के पूर्व प्रधान के साथ मिलीभगत से पट्टा प्राप्त किया है।इस तरह की अस्पष्ट याचिका के अलावा, धोखाधड़ी कैसे की गई, इसका कोई विवरण नहीं था। धोखाधड़ी को स्वीकार करना होगा और साबित करना होगा।इसके अलावा, जब सक्षम अदालत द्वारा पहले पारित किसी फैसले और डिक्री पर सवाल उठाया जाता है, तो आवश्यक विवरणों द्वारा कथित धोखाधड़ी का अनुरोध करना आवश्यक होता है और इसे ठोस साक्ष्य द्वारा साबित करना होता है।जैसा कि अभिलेख पर साक्ष्य से पता चलता है कि धोखाधड़ी, जैसा कि अनुरोध किया गया था, साबित नहीं किया गया था, धोखाधड़ी का विवरण देने वाले किसी भी आवश्यक अभिवचन के अभाव में, उच्च न्यायालय के सुविचारित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।**[**पैरा **12] [863-**डी**-**जी**]**

सी.

डी.

ई.

एफ.

मानेकलाल मानसुखभाई बनाम होरमुसजी जमशेदजी

गिनवाला एंड संस एयर 1950 एससी 1:[1950] एससीआर 75;

हमज़ाबी और ओआरएस**.** वी**.**सैयद करीमुद्दीन और अन्य। **(2001) 1**

एससीसी **414:[2000] 5** पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 99-**निर्भर।

एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड बनामआर**.** एन**.** कपूर **(1960) 1** एससीआर **368;** सी**.** एम**.** बीना और अन्न बनामपी**.** एन**.** रामचंद्र

जी.

राव (2004) 3 एससीसी 595:[2004] 3 एस. सी. आर. 303-लागू नहीं होता है।

एल. आर. बनाम जगन्नाथ द्वारा एस. पी. चेंगलवराय नायडू (मृत)

(मृत) एल. आर. और ओ. आर. द्वारा। (1994) 1 एस. सी. सी 1:[1993] 3 पूरक।

एच.

ए.

एससीआर **422;** ए**.** वी**.** पापय्या शास्त्री और अन्य बनामए**.** पी**.** सरकार

& ओआरएस। (2007) 4 एससीसी 221:[2007] 3 एससीआर 603;

एल. आर. बनाम स्टेट ऑफ इंडिया द्वारा मधुर सदभा शिवरकर (मृत)

महाराष्ट्र और ओआरएस। (2015) 6 एससीसी 557; सतलुज जल विद्युत

निगम बनाम राज कुमार राजिंदर सिंह (मृत)

विधिक उत्तराधिकारी (2019) 14 एससीसी 449:[2018] 12 एस. सी. आर. 282; थ्रिस्ट

बी.

धवन **(**श्रीमती**)** बनाम एम**./**एस**.** शॉ ब्रदर्स **(1992) 1** एससीसी

534 :[1991] 3 पूरक।एससीआर 446; मेघमाला और ओआरएस. वी.

जी. नरसिम्हा रेड्डी और अन्य। (2010) 8 एससीसी 383:[2010] 10 एस. सी. आर. 47; भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम

चेंबूर सर्विस स्टेशन (2011) 3 एस. सी. सी. 710:[2011] 3

सी.

एससीआर **632;** रंगनायकम्मा और अन्न। वी**.** के**.** एस**.** प्रकाश

((घ) एल. आर. और अन्य द्वारा। (2008) 15 एससीसी 673:[2008] 9 एस. सी. आर. 297-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1993] 3 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 422** पैरा **8 [2007] 3** एस**.** सी**.** आर**. 603** पैरा **8 (2015) 6** एस**.** सी**.** सी**. 557** पैरा **8 [2018] 12** एस**.** सी**.** आर**. 282** पैरा **8 [1991] 3** सप्लीमेंट को संदर्भित किया गया है।एस**.** सी**.** आर**. 446** पैरा **8 [2010] 10** एस**.** सी**.** आर**. 47** पैरा **8 [1960] 1** एस**.** सी**.** आर**. 368** अभिनिर्धारित अप्रयोज्य पैरा **8 [2004] 3** एस**.** सी**.** आर**. 376** अभिनिर्धारित अप्र लागू पैरा **8 [2011] 3** एस**.** सी**.** आर**. 632** पैरा **8 [1950]** एस**.** सी**.** आर**. 75**

डी.

ई.

एफ.

उस पर भरोसा करें

पैरा **9**

[2000] 5 पूरक।एससीआर **99** पर भरोसा किया गया

पैरा **9 [2008] 9** एस**.** सी**.** आर**. 297** पैरा **9** में निर्दिष्ट है।

जी.

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः2011 की सिविल अपील सं. 9049-9053।

2006 के आर. एफ. ए. सं. <आई. डी. 2 में नई दिल्ली में दिल्ली उच्च न्यायालय के दिनांकित 21.05.2007 के निर्णय और आदेश से।

एच.

857

भारत संघ और ए. एन. आर. बनाममेसर्स के. सी. शर्मा एंड कंपनी एंड ओ. आर. एस.

ए.

सुश्री ऐश्वर्या भाटी, ए. एस. जी., जयंत भूषण, सिद्धार्थ भटनागर, वरिष्ठ अधिवक्ता।, सुश्री सुनीता शर्मा, सुश्री नीला केदार गोखले, बी. वी. बलराम दास, निकलेश रामचंद्रन, आकाश चौधरी, अधिवक्ता।उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

बी.

आर. सुभाष रेड्डी, जे.

1. भारत संघ ने सचिव (राजस्व) और एक अन्य के माध्यम से ये अपीलें दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा R.F.A.Nos.204-8/2006 में पारित 21.05.2007 के फैसले और डिक्री से व्यथित होकर दायर की हैं।उपरोक्त आक्षेपित निर्णय द्वारा, उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त न्यायाधीश द्वारा 2005 के वाद No.203 में पारित दिनांकित 04.01.2006 के निर्णय और डिक्री को दरकिनार करते हुए, प्रत्यर्थीगण द्वारा पसंद की गई नियमित प्रथम अपीलों को अनुमति दी है।जिला न्यायाधीश, दिल्ली।

सी.

2. संक्षेप में आवश्यक तथ्य इस प्रकार हैं:

खसरा Nos.14/9,12,17,18,19,20/1,23 और 24 में शामिल 36 बीघा 11 बिस्वास वाली भूमि गाँव सभा लुहार हेरी, दिल्ली की थी।सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 (संक्षेप में, 'अधिनियम') के तहत कार्यवाही शुरू करके उपरोक्त भूमि सहित गाँव में बड़ी मात्रा में भूमि का अधिग्रहण किया था।अधिनियम की धारा 4 (1) के तहत अधिसूचना 27.01.1984 पर जारी की गई थी और अधिनियम की धारा 6 के तहत घोषणा 20.09.1984 पर प्रकाशित की गई थी।19.09.1986 पर No.101/86-87 वाले पुरस्कार को पारित करके, सरकार द्वारा भूमि का कब्जा ले लिया गया था।पुरस्कार की कार्यवाही में, जैसा कि प्रत्यर्थीगण ने इस आधार पर मुआवजे का दावा किया है कि भूमि उन्हें गाँव सभा द्वारा पट्टे पर दी गई थी, इस मामले को मुआवजे की राशि के विभाजन के लिए अधिनियम की धारा 30 और 31 के तहत दीवानी न्यायालय को भेजा गया था।अधिनियम की धारा 30 और 31 के तहत वरीयता प्राप्त उपरोक्त संदर्भ कार्यवाही में, प्रत्यर्थीगणओं का यह दावा था कि चूंकि भूमि खेती के लिए उपयुक्त नहीं थी, इसलिए प्रत्यर्थीगणओं को "शोरा" को हटाने और भूमि को खेती के लिए उपयुक्त बनाने के लिए पट्टे पर दिया गया था।यह उनका मामला है कि गाँव सभा द्वारा दिए गए पट्टे को देखते हुए, उन्होंने "शोरा" को हटाने के लिए बड़ी राशि खर्च की है और भूमि को खेती के लिए उपयुक्त बनाया है, और 30 वर्षों से अधिक समय तक इसकी खेती करके अपने कब्जे में बने रहे हैं।अधिनियम की धारा 30 और 31 के तहत निर्दिष्ट उपरोक्त कार्यवाही में, सिविल कोर्ट ने 28.09.1989 पर निर्णय और डिक्री पारित की है, जिसमें घोषणा की गई है कि प्रतिवादी-दावेदार इसके हकदार हैं।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

858

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2020] 6 एस सी आर।

ए.

87 प्रतिशत तक का मुआवजा और शेष 13 प्रतिशत का भुगतान पंचायत/गाँव सभा को किया जाना है।

3. अधिनियम की धारा 30 और 31 के तहत कार्यवाही में उपरोक्त निर्णय और डिक्री के लगभग तीन साल बाद, कुछ ग्रामीणों ने रिट याचिका दायर की है जिसमें आरोप लगाया गया है कि प्रत्यर्थीगण विचाराधीन भूमि के पट्टेदार नहीं थे और उन्होंने गाँव सभा के पूर्व प्रधान के साथ मिलकर मुआवजे का दावा किया है।उक्त रिट याचिका का निपटारा दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा 21.02.1997 पर किया गया था।उपरोक्त आदेश में उच्च न्यायालय ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम की धारा 18 के तहत लंबित कार्यवाही में हस्तक्षेप करने और उनके मामले को साबित करने के लिए उपलब्ध सामग्री को रिकॉर्ड पर रखने की अनुमति दी है।साथ ही मूल पट्टेदार के कानूनी उत्तराधिकारियों के लिए यह खुला रखा गया था कि वे अपने इस तर्क का समर्थन करें कि पट्टा है और वे अधिग्रहित भूमि के लिए मुआवजे का दावा करने के हकदार हैं।रिट याचिका में पारित आदेश दिनांक 21.02.1997 का प्रासंगिक हिस्सा इस प्रकार है:“हमें किसी न किसी तरह से पक्षों के अधिकारों के संबंध में कुछ भी तय करने के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए।ए. डी. एम. को इस आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक महीने के भीतर अपना हस्तक्षेप आवेदन दायर करने का निर्देश दिया जाता है। जिला न्यायाधीश को निर्देश दिया जाता है कि ए. डी. एम. के हस्तक्षेप आवेदन पर निर्णय दिए जाने से पहले वृद्धि के लिए आवेदन का निपटारा न किया जाए। ए. डी. एम. के लिए इस मामले में हस्तक्षेप के अलावा इस बात पर विचार करने का अधिकार होगा कि पहले से ही भुगतान किए गए मुआवजे की वसूली के लिए कोई अलग कार्यवाही शुरू की जानी है या नहीं।”

बी.

सी.

डी.

ई.

4. रिट याचिका में उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए, गाँव सभा/पंचायत ने अधिनियम की धारा 18 के तहत कार्यवाही में शामिल करने के लिए सिविल

प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10 के तहत आवेदन दायर किया है। उपरोक्त कार्यवाही में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि अधिनियम की धारा 30 और 31 के तहत कार्यवाही में पारित निर्णय और डिक्री को देखते हुए कि प्रतिवादी-दावेदार 87 प्रतिशत तक मुआवजे के हकदार हैं, सिविल कोर्ट ने अभिनिर्धारित किया है कि पंचायत केवल अपने 13 प्रतिशत हिस्से की सीमा तक मुआवजे में वृद्धि की मांग करने का हकदार है।

एफ.

जी.

5. इसके अलावा, उच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों को देखते हुए, अपीलार्थीगण द्वारा शुरू में दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसे बाद में अतिरिक्त जिला ए के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।

एच.

859

भारत संघ और ए. एन. आर. बनाममेसर्स के. सी. शर्मा एंड कंपनी एंड ओ. आर. एस. [आर. सुभाष रेड्डी, जे.] ए.

न्यायाधीश, दिल्ली को आर्थिक अधिकार क्षेत्र के आधार पर और इसे 2005 के सूट No.203 के रूप में गिना गया था।उक्त मुकदमा यह घोषणा करने के लिए दायर किया गया था कि 28.09.1989 दिनांकित निर्णय और डिक्री धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी क्योंकि वे 18 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ Rs.11,20,707/- की वसूली के हकदार हैं। उपरोक्त मुकदमे में मुख्य रूप से यह अपीलकर्ताओं-वादियों का मामला था कि उक्त डिक्री पूर्व प्रधान के साथ मिलीभगत से धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी, और एक प्रस्ताव बनाया गया था जिसमें दिखाया गया था कि उक्त भूमि को 04.04.1981 से पांच साल की अवधि के लिए उनके पक्ष में पट्टे पर दिया गया था।यह उनका विशिष्ट मामला था कि चूंकि गाँव सभा के पूर्व प्रधान प्रत्यर्थियों-प्रतिवादियों के साथ मिलीभगत में थे और उनके द्वारा अदालत में की गई इस तरह की धोखाधड़ी के कारण वे आदेश और डिक्री प्राप्त कर सकते थे जैसे कि मुकदमे में उसी पर हमला किया गया था।

बी.

सी.

6. उक्त वाद दिनांक 04.01.2006 के निर्णय और डिक्री द्वारा घोषित किया गया था और उन्हीं उत्तरदाताओं द्वारा व्यथित किया गया था-प्रतिवादियों ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष R.F.A.Nos.204-8/2006 में प्रथम अपील को प्राथमिकता दी है।उच्च न्यायालय, अभिलेख पर दस्तावेजी और मौखिक साक्ष्य की सराहना करते हुए, इस निष्कर्ष पर पहुंचा है

कि अपीलकर्ता-वादी ने आवश्यक विवरणों का अनुरोध नहीं किया है ताकि यह दिखाया जा सके कि अदालत पर धोखाधड़ी कैसे की गई थी जिसने अधिनियम की धारा 30 और 31 के तहत संदर्भ का फैसला किया था। इसके अलावा एक निष्कर्ष दर्ज करते हुए कि ग्राम पंचायत "शोरा" को हटाकर भूमि को खेती के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उक्त भूमि को पट्टे पर देना चाहती थी और उक्त प्रस्ताव पर गाँव सभा के सभी सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे और उप राज्यपाल से अनुमोदन के बाद ही। निदेशक, पंचायत, इसे नीलामी के लिए रखा गया था।उच्च न्यायालय द्वारा आगे यह अभिनिर्धारित किया गया कि नीलामी की कार्यवाही में छह बोलीदाता थे और प्रत्यर्थीगणओं की बोली Rs.89 पर सबसे अधिक थी-प्रति एकड़ उसी को स्वीकार कर लिया गया था।उच्च न्यायालय द्वारा आगे यह अभिनिर्धारित किया गया है कि बोली की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव को भी डिप्टी गवर्नर द्वारा अनुमोदित किया गया था। निदेशक ने 16.04.1981 दिनांकित पत्र के माध्यम से और उसके बाद ही प्रत्यर्थीगणओं ने भूमि पर कब्जा कर लिया और विभिन्न प्राप्तियों के माध्यम से धन का भुगतान किया जो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं।इसके अलावा उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि राजस्व अभिलेखों में की गई प्रविष्टियां प्रत्यर्थीगण की इस दलील का समर्थन करती हैं कि वे भूमि पर खेती करके अपने कब्जे में बने रहे और क्योंकि पट्टा बनाने और पट्टा स्वीकार करने के प्रस्ताव के चरण से गाँव सभा की प्रत्येक कार्रवाई को उप राज्यपाल द्वारा अनुमोदित किया गया था। निदेशक, अपीलार्थीगण द्वारा यह दिखाने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है कि पट्टा केवल गाँव सभा के पूर्व प्रधान की मिलीभगत से बनाया गया था।उपरोक्त निष्कर्षों के साथ प्रत्यर्थीगण द्वारा दायर अपीलों को अनुमति दी गई और निचली अदालत के फैसले और डिक्री को दरकिनार कर दिया गया।इसलिए, वादी द्वारा ये दीवानी अपीलें की जाती हैं।

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

7. हमने अपीलार्थीगण की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सुश्री ऐश्वर्या भाटी और प्रतिवादियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण को सुना है।

8. अपीलार्थीगण की ओर से पेश हुए विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने मुख्य रूप से तर्क दिया है कि प्रत्यर्थीगणओं ने धोखाधड़ी करके मुआवजे का दावा किया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि प्रत्यर्थीगणओं के पक्ष में कोई पट्टा विलेख नहीं है और प्रत्यर्थीगणओं को केवल भूमि पर "शोरा" को हटाने का अधिकार दिया गया था ताकि भूमि को खेती के लिए उपयुक्त बनाया जा सके।यह प्रस्तुत किया जाता है कि ग्राम पंचायत द्वारा प्रत्यर्थीगणओं के पक्ष में निष्पादित किसी भी पट्टा विलेख के अभाव में, इसे केवल "शोरा" को हटाने के लिए एक लाइसेंस के रूप में माना जा सकता है और इसे पट्टा के रूप में नहीं माना जा सकता है।विद्वान ए. एस. जी. ने प्रस्तुत किया है कि चूंकि मुकदमे में जिस फैसले और डिक्री पर सवाल उठाया गया था, वह धोखाधड़ी से प्राप्त किया गया था, इसलिए मुकदमे का फैसला निचली अदालत ने सही किया था, लेकिन उच्च न्यायालय ने उनके मामले की उचित परिप्रेक्ष्य में सराहना किए बिना इसे उलट दिया था।विद्वान ए. एस. जी. द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि किसी भी स्थिति में उत्तरदाताओं-प्रतिवादियों द्वारा किए गए दावे के संबंध में वे 87 प्रतिशत तक मुआवजे के हकदार नहीं हैं।अपनी दलील के समर्थन में कि जितना निर्णय और डिक्री दिनांकित 28.09.1989 धोखाधड़ी द्वारा प्राप्त किया जाता है और वह एक अमान्यता है और इसे दूषित किया जाता है, उसने इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा रखा हैः

बी.

सी.

डी.

1. एस. पी. चेंगलवराय नायडू (मृत) एल. आर. बनाम जगन्नाथ (मृत) एल. आर. और अन्य द्वारा। 1.

ई.

2. ए. वी. पापय्या शास्त्री और अन्य बनामए. पी. और अन्य की सरकार 2.

3. एल. आर. बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य द्वारा मधुर सदभा शिवरकर (मृत)। 3.

एफ.

4. सतलुज जल विद्युत निगम बनाम राज कुमार राजिंदर सिंह (मृत) एल. आर. 4 के माध्यम से

5. श्रीस्ट धवन (श्रीमती) बनाम एम./एस. शॉ ब्रदर्स 5

6. मेघमाला और ओआरएस। वी. जी. नरसिम्हा रेड्डी और अन्य। 6.

जी.

1 (1994) 1 एस. सी. सी. 1 2 (2007) 4 एस. सी. सी. 221 3 (2015) 6 एस. सी. सी. 557

4 2018 (11) स्केल 383 = (2019) 14 एससीसी 449 5 (1992) 1 एससीसी 534

6 (2010) 8 एससीसी 383 ए

एच.

861

भारत संघ और ए. एन. आर. बनाममेसर्स के. सी. शर्मा एंड कंपनी एंड ओ. आर. एस. [आर. सुभाष रेड्डी, जे.]

यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त मामला कानून अपीलार्थीगण के मामले का समर्थन करता है कि चूंकि डिक्री धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी, इसलिए यह एक अमान्य और दूषित है और इसे किसी भी समय रद्द किया जा सकता है।आगे ज्ञात ए. एस. जी. ने अपने इस तर्क के समर्थन में कि गाँव सभा से लेन-देन को एक लाइसेंस के रूप में माना जाना है, लेकिन पट्टे के रूप में नहीं और 'पट्टे' और 'लाइसेंस' के बीच अंतर निकालने के लिए, एसोसिएटेड होटल्स ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम के मामले में इस न्यायालय के फैसलों पर भरोसा रखा।आर. एन. कपूर 7; सी. एम. बीना और अन्र. वी. पी. एन. रामचंद्र राव 8; और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम.चेंबूर सेवा स्टेशन 9. 9.दूसरी ओर प्रत्यर्थीगण की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण ने तर्क दिया है कि अधिनियम की धारा 30 और 31 के तहत कार्यवाही में पारित निर्णय और डिक्री अंतिम हो गई है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि ऐसे निर्णय और डिक्री को प्राप्त अंतिमता को ध्यान में रखते हुए, मुकदमे में विचार के लिए केवल यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या ऐसा निर्णय और डिक्री धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी या नहीं।धोखाधड़ी की याचिका के समर्थन में, अपीलार्थीगण का एकमात्र तर्क था कि कोई पट्टा नहीं था और पट्टा देने का प्रस्ताव गाँव सभा के पूर्व प्रधान के साथ मिलीभगत से प्राप्त किया गया था।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि अभिलेख पर साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि भूमि का पट्टा देने का निर्णय गाँव सभा द्वारा लिया गया था और सभी सदस्य हस्ताक्षरकर्ता हैं और केवल डिप्टी गवर्नर की मंजूरी के बाद। निदेशक, पंचायत की भूमि पट्टे पर दी गई थी।यह प्रस्तुत किया जाता है कि पट्टा नीलामी आयोजित करके दिया गया था और जितना मूल प्रतिवादी-प्रतिवादी था, उतना ही उच्चतम बोली लगाने वाला पट्टा प्रत्यर्थीगणओं को कब्जा देकर दिया गया था।यह प्रस्तुत किया जाता है कि जैसा कि प्रत्यर्थीगण ने कब्जा करना जारी रखा, जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्शाए गए साक्ष्य से स्पष्ट है, अपीलार्थीगण के लिए यह दलील देना खुला नहीं है कि प्रत्यर्थीगण को केवल लाइसेंसधारी माना जाना चाहिए, लेकिन पट्टेदार नहीं।यह प्रस्तुत किया जाता है कि चूंकि निचली अदालत ने रिकॉर्ड पर साक्ष्य की उचित रूप से सराहना नहीं की है और मुकदमे का फैसला सुनाया है, इसलिए इसे उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से दरकिनार कर दिया गया है और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि हालांकि कोई पट्टा विलेख निष्पादित और पंजीकृत नहीं किया गया है, प्रत्यर्थीगण संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882

की धारा 53 ए के लाभ के हकदार हैं।अपने तर्क का समर्थन करने के लिए उन्होंने मानेकलाल मनसुखभाई के मामले में इस अदालत के फैसलों पर भरोसा किया है।

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

7 (1960) 1 एससीआर 368 8 (2004) 3 एससीसी 595 9 (2011) 3 एससीसी 710 ए

एच.

v. होरमुसजी जमशेदजी गिनवाला एंड संस 10 और हमज़ाबी एंड ओरस. v.सैयद करीमुद्दीन और अन्य। 11.इसके अलावा, अपने इस तर्क के समर्थन में कि धोखाधड़ी को पर्याप्त सबूत के साथ साबित किया जाना है, उन्होंने रंगनायकम्मा और अन्र के मामले में इस अदालत के फैसले पर भरोसा किया है। एल. आर. और अन्य द्वारा वी. के. एस. प्रकाश (डी)। 12.

10. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के बाद, हमने अभिलेख पर सामग्री का अध्ययन किया है।

बी.

11. इस मामले में हम अधिनियम की धारा 30 और 31 के तहत कार्यवाही में पारित किए गए निर्णय और डिक्री की शुद्धता से चिंतित नहीं हैं। 2005 के सूट No.203 में दायर मुकदमे में इस आशय की घोषणा की गई है कि 28.09.1989 दिनांकित निर्णय और डिक्री धोखाधड़ी करके प्राप्त की गई है।उनके मामले के समर्थन में एकमात्र दलील यह थी कि वास्तव में कोई पट्टा नहीं था और इसे पंचायत के पूर्व प्रधान के साथ मिलकर प्रस्ताव बनाकर बनाया गया था।अभिलेख पर सामग्री और साक्ष्य से हम उच्च न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमत हैं।क्षतिपूर्ति मामले के लिए प्रतिद्वंद्वी दावों को ध्यान में रखते हुए अधिनियम की धारा 30 और 31 के तहत संदर्भित किया गया था और यह माना गया था कि प्रत्यर्थीगण 87

प्रतिशत की सीमा तक मुआवजे के हकदार हैं जबकि गाँव सभा को केवल 13 प्रतिशत की सीमा तक हकदार माना गया था।उक्त निर्णय अंतिम हो गया है।किसी भी अपील में इस पर सवाल नहीं उठाया गया था।आई. डी. 1 दिनांकित निर्णय और डिक्री के खिलाफ कोई अपील दायर किए बिना, एक अलग मुकदमा मुख्य रूप से इस आधार पर दायर किया जाता है कि उक्त निर्णय और डिक्री धोखाधड़ी से प्राप्त की जाती है।रखी गई सामग्री और प्रस्तुत साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विचाराधीन भूमि 'बंजर' भूमि थी जिसमें 'शोरा' था और ग्राम पंचायत 'शोरा' को हटाकर खेती के लिए उपयुक्त बनाने के लिए उक्त भूमि को पट्टे पर देना चाहती थी।इस तरह के प्रस्ताव पर गाँव सभा के सभी सदस्यों ने सहमति व्यक्त की और इस तरह के प्रस्ताव को डिप्टी गवर्नर को भेजा गया। निदेशक, अनुमोदन के लिए पंचायत।दि. पंचायत निदेशक ने यह निर्णय लेते हुए इसे मंजूरी दे दी है कि न्यूनतम बोली Rs.75-प्रति एकड़ के लिए होनी चाहिए।डिप्टी से ऐसी मंजूरी मिलने के बाद ही। निदेशक, पंचायत, पट्टे के अधिकार देने के लिए 04.04.1981 पर भूमि की नीलामी की गई थी।आयोजित नीलामी में छह बोलीदाता थे और प्रत्यर्थी की बोली सबसे अधिक थी जो Rs.89-प्रति एकड़ थी और इसे स्वीकार कर लिया गया था।यहां तक कि प्रस्तावों की इस तरह की स्वीकृति को फिर से डिप्टी को भेजा गया था। अनुमोदन के लिए निदेशक और उप निदेशक।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

10 ए. आई. आर. 1950 एस. सी. 1 11 (2001) 1 एस. सी. सी. 414 12 (2008) 15 एस. सी. सी. 673 ए

एच.

863

भारत संघ और ए. एन. आर. बनाममेसर्स के. सी. शर्मा एंड कंपनी एंड ओ. आर. एस. [आर. सुभाष रेड्डी, जे.] ए.

निदेशक ने दिनांकित 16.04.1981 पत्र के माध्यम से पांच साल की अवधि के लिए प्रत्यर्थी के पक्ष में बोली की स्वीकृति को मंजूरी दी।इसके बाद प्रत्यर्थी को कब्जे में ले लिया गया और उसने ग्राम पंचायत को बोली राशि का भुगतान करके कब्जा जारी रखा।प्रस्तुत किए गए राजस्व अभिलेखों से यह भी पता चलता है कि प्रत्यर्थी का नाम स्वामी और कृषक के रूप में दर्ज किया गया था।इस तरह के दस्तावेजी साक्ष्य के आलोक में यह नहीं कहा जा सकता है कि

पट्टा प्रत्यर्थीगण द्वारा पूर्व प्रधान के साथ मिलीभगत से प्राप्त किया गया था।यह ध्यान देने योग्य है कि यह गाँव सभा के पूर्व प्रधान का कार्य नहीं था और प्रस्ताव के चरण से ही इसे डिप्टी गवर्नर द्वारा अनुमोदित किया गया था। निदेशक, उसके बाद ही खुली नीलामी आयोजित करके प्रत्यर्थीगणओं को पट्टा दिया गया।

बी.

सी.

12. यद्यपि अपीलार्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने अपनी याचिका के समर्थन में कई निर्णयों पर भरोसा किया है कि चूंकि निर्णय और डिक्री धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी, यह एक अमान्य और दूषित है, लेकिन किसी दिए गए मामले में क्या ऐसी डिक्री धोखाधड़ी से प्राप्त की गई थी या नहीं, यह एक ऐसा मामला है जिसका निर्णय दलीलों और रिकॉर्ड पर साक्ष्य के संदर्भ में किया जाना है।जब निर्णय और डिक्री पर केवल इस आधार पर हमला किया जाता है कि पट्टा पूर्व प्रधान के साथ मिलीभगत से बनाया गया था, क्योंकि यह साक्ष्य के विपरीत है, तो प्रत्यर्थीगण की एकमात्र याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा सही ढंग से स्वीकार नहीं किया गया था।प्रत्येक चरण में पट्टा प्रदान करने की कार्यवाही को सक्षम प्राधिकारी/डिप्टी कमिश्नर द्वारा अनुमोदित किया गया था। निदेशक, पंचायत, इस प्रकार यह नहीं कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थीगणओं ने पंचायत के पूर्व प्रधान के साथ मिलीभगत से पट्टा प्राप्त किया है।इस तरह की अस्पष्ट याचिका के अलावा, धोखाधड़ी कैसे की गई, इसका कोई विवरण नहीं था।यह काफी अच्छी तरह से तय किया गया है कि धोखाधड़ी का अनुरोध किया जाना चाहिए और साबित किया जाना चाहिए।इसके अलावा, जब सक्षम अदालत द्वारा पहले पारित किसी फैसले और डिक्री पर सवाल उठाया जाता है, तो आवश्यक विवरणों द्वारा कथित धोखाधड़ी का अनुरोध करना आवश्यक होता है और इसे ठोस साक्ष्य द्वारा साबित करना होता है।अभिलेख के विपरीत कोई निष्कर्ष नहीं हो सकता है।जैसा कि अभिलेख पर साक्ष्य से पता चलता है कि धोखाधड़ी, जैसा कि अनुरोध किया गया था, साबित नहीं किया गया था, धोखाधड़ी का विवरण देने वाले किसी भी आवश्यक अभिवचन के अभाव में, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय के सुविचारित निर्णय में हस्तक्षेप करने के लिए कोई मामला नहीं बनाया गया है।इस संबंध में विद्वान ए. एस. जी. द्वारा अपीलार्थीगण के लिए प्रस्तुत किया गया मामला कानून उनकी याचिका का समर्थन करने के लिए कोई सहायता प्रदान नहीं करेगा।एसोसिएटेड होटल्स 7 और सी. एम. बीना 8 के मामले में संदर्भित अन्य मामले भी किसी भी तरह से अपीलार्थीगण के मामले के बचाव में नहीं आएंगे।जैसा कि साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण को कब्जे में रखा गया था और उन्होंने भूमि पर खेती करके कब्जा जारी रखा, उक्त निर्णय मामले के समर्थन में कोई सहायता प्रदान नहीं करेंगे -

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

अपीलार्थीगण।दूसरी ओर मानेकलाल मानसुखभाई के मामले में 10 ने प्रत्यर्थीगण के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा भरोसा किया कि इस न्यायालय द्वारा यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53 ए के तहत बचाव उस व्यक्ति के लिए उपलब्ध है जिसके पक्ष में पट्टे का समझौता है, हालांकि कोई पट्टा निष्पादित और पंजीकृत नहीं किया गया है।इसी तरह के प्रस्ताव को हमज़ाबी 11 के मामले में इस अदालत के फैसले में भी मंजूरी दी गई है, जिसमें इस अदालत ने कहा है कि संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1882 की धारा 53 ए उन व्यक्तियों के कब्जे की रक्षा करती है जिन्होंने बिक्री के अनुबंध पर काम किया है, लेकिन जिनके पक्ष में कोई वैध बिक्री विलेख निष्पादित या पंजीकृत नहीं है।जैसा कि यह स्पष्ट है कि प्रत्यर्थीगण को कब्जे में ले लिया गया था और पंचायत ने पट्टा देने के उनके प्रस्ताव पर कार्रवाई की है, कहा कि मामला कानून प्रत्यर्थीगण के मामले का समर्थन करता है।

बी.

सी.

13. उपरोक्त कारणों से, हम इन अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं ताकि विवादित निर्णय में हस्तक्षेप किया जा सके।तदनुसार, इन दीवानी अपीलों को बिना किसी आदेश के खारिज कर दिया जाता है।

डी.

दिव्या पांडे

याचिकाएं खारिज कर दी गईं।

ई.

एफ.

जी.

एच.